


झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

॥ प्रेस विज्ञप्ति ॥

मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-234/CS/Res, दिनांक-12.05.2021 के अनुसार "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" के तहत दिनांक-16.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे से दिनांक-27.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक राज्य में निजी वाहनों से आवागमन हेतु E-Pass की व्यवस्था की गई है। E-Pass विभागीय पोर्टल epassjharkhand.nic.in से ऑनलाईन निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है :-

पूर्व में निर्गत प्रेस विज्ञप्ति इस हद तक संशोधित समझा जायेगा :-

1. शव यात्रा में शामिल लोगों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।
2. चिकित्सा उद्देश्यों तथा इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जाँच हेतु, शारीरिक जाँच हेतु, वैक्सीनेशन हेतु, मरीजों को होस्पिटल जाने-आने हेतु तथा दवा लेने जाने-आने हेतु E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।
3. अनुमति प्राप्त साम्प्रग्रियों को क्रय करने जाने के लिए E-Pass 3 घंटे की अवधि के लिए प्रातः 6:00 बजे से 3:00 बजे के मध्य प्राप्त किया जा सकेगा।


15/5/21
परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।